इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2802535, Email – sanchi13a@gmail.com

!! इन्दौर शहर में सॉची दूध वितरण हेतु सुपरस्टाकिस्ट परिवहन दर आमंत्रण हेतु अल्पकालिन तृतीय ई-निविदा सूचना !!

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर द्वारा इन्दौर शहर मे सॉची दूध के वितरण कार्य हेतु सुपरस्टाकिस्ट नियुक्ति एवं परिवहन दर हेतु अल्पकालीन तृतीय ई–निविदा के माध्यम से Online दरें आंमत्रित की जाती है। अधिक जानकारी के लिए आवेदन एम.पी.सी.डी.एफ. की वेब साईड www.mpcdf.gov.in पर देखा जा सकता है एवं निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य रू. 1000/- का भुगतान कर वेबसाईट www.mpeproc.gov.in पर Online आवेदन दिनांक 06-12-2018 दोपहर 2:00 बजे तक जमा किया जा सकता है। निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

निविदा से संबंधित पूर्व में प्राप्त तकनिकी अर्हता के लिफाफे को इस निविदा में सम्मिलित किया जावेगा एवं इस निविदा सम्बन्धी कोई संशोधन होता है तो वह उपर वर्णित वेबसाईट के अलावा अन्यंत्र कहीं भी प्रकाशित नहीं की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Export enquiries for SANCHI GHEE, SKIMMED MILK POWDER from exporters are invited. Please contact: 9425077856/9425912916 or email : foreigntrademtc@gmail.com / sanchimsids@gmail.com for all terms and conditions.

आवेदन कमांक आवेदन पत्र मूल्य रू. 1000/-

इन्दौर शहर मे सॉची दूध विकय सुपरस्टाकिस्ट नियुक्ति एवं परिवहन दर आमंत्रण हेतु अल्पकालिन तृतीय ई–निविदा

निविदा आवेदन पत्र

वर्ष 2018 - 2020

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चांदा तलावली, ए.बी.रोड, इन्दौर
दूरभाष 0731- 2802535

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दोर

सुपरस्टाकिस्ट (सॉची दूध) एजेन्सी आवंटन हेतु

☙ आवेदन पत्र ❧

(1)	ई–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय।	▪	06/12/2018 दोप. 12.00 बजे तक।
(2)	ई–निविदा (ऑन लाईन) जमा करने की अंतिम दिनांक व समय	▪	06/12/2018 दोप. 02.00 बजे तक।
(3)	निविदा खोलने की तिथि एवं समय।	▪	06/12/2018,दोप. 3.00 बजे।
(4)	निविदा के साथ जमा की की जाने वाली अमानत राशि।	▪	रू. 10,00,000/- (अक्षरी रू. दस लाख मात्र)
(5)	निविदा खोलने का स्थान	▪	इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या. चांदा तलावली, ए.बी.रोड, इन्दौर
(6)	सुपर स्टाकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताओं का प्रारूप।	▪	प्रपत्र 01
(7)	सुपर स्टाकिस्ट की सामान्य शर्ते।	▪	प्रपत्र 02
(8)	''भाव पत्र/दरे'' प्रस्तुत करने का प्रारूप। (ऑन लाईन)	▪	प्रपत्र 03
(9)	अनुबंध प्रारूप।	▪	प्रपत्र 04

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- ✓ प्रपत्र क्रमांक 01 ''तकनीकी अर्हताये'' प्रपत्र क्रमांक 02 ''सुपर स्टाकिस्ट की शर्ते एवं अनुबंध प्रपत्र 02 & 4'' बन्द लिफाफे मे प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर ''तकनीकी अर्हताये'' लिखा जावे।

- ✓ उक्त दौनो बन्द लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे मे बन्द कर प्रस्तुत किये जावे एवं इस लिफाफे मे ''सॉची दूध सुपर स्टाकिस्ट'' के लिये निविदा आफॅर'' अंकित कर नीचे निविदाकर्ता का नाम एवं पता अंकित किया जावे। पहले ''तकनीकी अर्हताये'' का लिफाफा खोला जावेगा। तकनीकी अर्हतायें मे सफल निविदाकर्ताओं की ही ''वित्तीय बीड (दर) '' मान्य की जावेगी।

- ✓ निविदा प्रपत्र क्रमांक 02 मे उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नही की जावेगी, साथ ही बिना पूर्ण दस्तावेज एवं EMD राशि के प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नही किये जावेगे।

- ✓ आवेदक द्वारा प्रपत्र 01 प्रपत्र 02 के प्रत्येक पेंज पर अपने हस्ताक्षर एवं कोष्ठक मे स्पष्ट अक्षरों मे अपना पूर्ण नाम लिखा जावे।

-X-

(तकनीकी अर्हतायें)
प्रपत्र - 01

प्रति, मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

विषय :– सॉची दूध सुपरस्टाकिस्ट हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

सॉची दूध सुपर स्टाकिस्ट हेतु दिनांक ----------------- को .... समाचार पत्र मे प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ मे निवेदन करता हूॅ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र मे वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ कर समझ लिये गये है। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मै आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूॅ। अतः मै एतद् द्वारा अमानत राशि रू. 10,00,000/- (अक्षरी रू दस लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कमांक .... दिनांक .... जो कि .... बैंक का है, संलग्न कर रहा हूॅ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क.	आवश्यक आर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज।
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा मे पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।
3.	संस्था/फर्म होने की दशा मे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।		संस्था/फर्म के संचालक मंडल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4.	निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।		छायाप्रति संलग्न करे।
5.	जीएसटी नम्बर		छायाप्रति संलग्न करें।
6.	पान नम्बर		छायाप्रति संलग्न करें।
7.	दूध वितरण कार्य हेतु उपलब्ध वाहनो के प्रकार एवं संख्या।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगावे। नया वाहन क्रय करने की स्थिति मे विवरण दें।
8.	बैंक खाता कमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष (2017–18) की छायाप्रति लगावें।
9.	विगत तीन वित्तीय वर्ष (वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18) अंकेक्षित बेलेन्स शीट।		आयकर विभाग मे रिर्टन जमा करने की पावती। (वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18)
10.	खाद्यय एवं सुरक्षा का लाईसेंस नम्बर		छायाप्रति संलग्न करें।

क्र.	आवश्यक आर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज।
11.	कार्यरत वितरक/रिटेलर यदि इस निविदा में भाग लेना चाहते है तो वर्तमान सुपरस्टाकिस्ट से अदैय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।		अदैय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करे।
12.	निविदा प्रपत्र के साथ आवेदनकर्ता के विरूद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो जिसका सत्यापन निकटम पुलिस थाने से बनाना अनिवार्य है।		छायाप्रति संलग्न करे।
13.	दूध एवं दुग्ध पदार्थ व्यवसाय का अनुभव		कम से कम 5 वर्ष का। सत्यापन हेतु प्रमाणक संलग्न करना अनिवार्य है।
14.	टर्न ओव्हर		वर्ष 2015–16, 16–17, 17–18 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 70 करोड या उससे अधिक अर्थात कुल टर्न ओव्हर 210 करोड या उससे अधिक होना अनिवार्य है। सत्यापन हेतु अंकेक्षित वित्तीय लेखे जो सी.ए. द्वारा प्रमाणित हो।

नोट – उपरोक्त दर्शित 14 बिन्दुओं से संबंधित जानकारी/प्रमाणक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। चयन हेतु 14 बिन्दुओं का आंकलन 28 अंक के आधार पर किया जावेगा। जिस आवेदनकर्ता को सर्वाधित अंक प्राप्त होगा उन्हे कार्य आवंटन किया जावेगा। यदि सर्वाधिक मार्क (28 अंक) एक से ज्यादा आवेदनकर्ता को प्राप्त होता है तो आवेदनकर्ता का चयन उन सभी आवेदनकर्ता के समक्ष लाट्री पद्धति से चयनित किया जावेगा।

नोट :–

1- उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है।

2- तकनीकी अर्हताओं सम्बन्धी प्रपत्र क्रमांक 01 निविदा की शर्ते प्रपत्र क्रमांक 02 एवं अनुबंध प्रारूप प्रपत्र 04 बन्द लिफाफे मे जमा की जावे। पहले ''तकनीकी अर्हतायें'' का लिफाफा खोला जावेगा। तकनीकी अर्हतायें मे सफल निविदाकर्ताओं की ही ''वित्तीय बीड (दर) '' मान्य की जावेगी।

3- उपरोक्त जानकारीयों मे से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर सॉची दूध सुपर स्टाकिस्ट एजेन्सी निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी। जो मुझे मान्य है।

हस्ताक्षर – – – – – – – – – – –

नाम – – – – – – – – – – –

पता – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

दूरभाष/मोबाईल नम्बर – – – – – – – – – – –

(टेकनिकल बीड)
प्रपत्र क्रमांक – 02

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चॉदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर

सॉची दूध सुपरस्टाकिस्ट निविदा हेतु आवश्यक शर्तें

1) आवेदनकर्ता को आवेदन–पत्र के साथ स्व–हस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड एवं पेनकार्ड की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।

2) निविदाकार इन्दौर शहर का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

3) आवेदक को आवेदन के साथ रूपये 10,00,000/- (अक्षरी रूपये दस लाख मात्र) डी.डी./RTGS तीन दिन पूर्व दुग्ध संघ के खाते में जमा करके सूचना दुग्ध संघ को देना होगी। अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेगें।

4) नियुक्ती पश्चात सुपरस्टाकिस्ट दूध को संघ मे प्रतिभूति राशि रूपये 50.00 लाख नगद एवं एक करोड रू. की बैंक ग्यारन्टी अथवा संयुक्त नाम से F.D.R. जमा कराना होगी।

5) सुपरस्टाकिस्ट के माध्यम से विक्रीत दूध पर पैसे 15 प्रतिलीटर सुपर स्टाकिस्ट मार्जिन का भुगतान किया जावेगा।

6) सुपरस्टाकिस्ट के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेगें :–

- ✍ दुग्ध संघ द्वारा दूध पर दिये जाने वाले वितरक/रिटेलर मार्जिन/परिवहन का सत्यापन हेतु माह के अंत में कम्प्यूटराईज्ड डाटा प्रस्तुत करना होगा।
- ✍ सुपरस्टाकिस्ट को दूध संघ के द्वारा वितरण समय सारणी अनुसार वितरण डाक पर दूध संघ के अमले के साथ दुग्ध प्रदायगी मार्गवार सुनिश्चित करना होगा।
- ✍ सुपरस्टाकिस्ट को सभी वितरण मार्गो पर अलग–अलग वाहन संचालित करना होगा, जिससे समय पर दूध वितरण हो सके।
- ✍ सुपरस्टाकिस्ट के कर्मीयों द्वारा मार्गवार भरी एवं खाली क्रेटों का हिसाब रखना होगा एवं संघ को प्रत्येक माह मिलान हेतु हिसाब प्रस्तुत करना होगा।
- ✍ सुपरस्टाकिस्ट का कार्य सम्पूर्ण इन्दौर क्षेत्र रहेगा, सुपरस्टाकिस्ट की जिम्मेदारी होगी की सम्पूर्ण क्षेत्र में दूध प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए नए विपणन मार्ग बनाना, वितरक/रिटेलर नियुक्त करना रहेगा। नियुक्ति संबंधित कार्यवाही के पूर्व महाप्रबन्धक (विपणन) को लिखित में सूचना देनी होगी।
- ✍ दुग्ध विक्रय वृद्धि हेतु मुख्य वितरण मार्गो के अतिरिक्त शटल मार्गो पर छोटी वाहनों, सहवितरक/रिटेलर के माध्यम से दुग्ध परिवहन कराना होगा।
- ✍ वर्तमान में 45 संचालित विपणन मार्गो के अतिरिक्त नवीन विकसीत कालोनीयों में दुग्ध प्रदाय सुनिश्चित कराने के लिए नए मार्ग का गठन आगामी तीन माहों में करना होगा।
- ✍ समस्त दुग्ध वितरकों से दूध की वेरियंट अनुसार मांग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर लिखित में अथवा ई–मेल द्वारा वितरकवार, मार्गवार, वाहन की क्षमता अनुसार प्रतिदिन संघ में देना होगी।

- ✍ सुपरस्टाकिस्ट द्वारा दी गई मांग अनुसार वाहनों में दूध लोड कराने हेतु निर्धारित समय–चक्र अनुसार वितरण डाक पर वाहन उपलब्ध कराना होगा, साथ ही इस हेतु डाक पर वितरण पर्यवेक्षक रखना होगा। साथ ही संयंत्र मे संघ द्वारा नियत स्थान पर आफिस में सभी संबंधित कार्यो का संचालन आफिस से 24 घंटे प्रतिदिन करना होगा।
- ✍ वाहनों में लोड हुए दूध को वितरक क्षेत्र के विक्रेताओं को विक्रय हेतु उतरवाना तथा उसकी मात्र क्रेट संख्या सहित विक्रेता से प्राप्ति रसीद लेना, वापसी में रिक्त क्रेंटे प्राप्त करना तथा उसकी रसीद विक्रेता को दैनिक रूप से देना होगा।
- ✍ सुपरस्टाकिस्ट दूध की नियुक्ती पश्चात तत्काल सुपरस्टाकिस्ट को क्रेटों के विरूद्ध दुग्ध संघ नियमानुसार राशि जमा कराना होगा एवं प्रत्येक माह के अंत में क्रटों का मिलान करने पर जो क्रेटे कम होती है या पाई जाती है तो उसकी राशि वर्तमान बाजार मूल्य के आधार मान कर क्रेट पेटे जमा राशि मे से कमी की जावेगी एवं दस दिवस में क्रेट की राशि जमा कराना होगी।
- ✍ सुपरस्टाकिस्ट द्वारा वितरण डाक पर नियुक्त पर्यवेक्षक वाहनों में हो रहे दूध लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित् करेगें कि दूध हर तरह से अर्थात गुणवत्ता, शीतलीकृत तापमान, लीकेज, वजन, क्रेट में निर्धारित संख्या पैकेट आदि से अच्छा है, इसके पश्चात् संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु यह आवश्यक होगा की सुपरस्टाकिस्ट अपने पर्यवेक्षकों के नाम मय फोटो I.D. प्रुफ के संघ में जमा करावेगा ताकि उनकी अनुपस्थिति रिकार्ड संघ मे रखा जा सके। पर्यवेक्षकों की उनुपस्थिति के विरूद्ध प्रबन्ध द्वारा निर्धारित पैनल्टी लगाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
- ✍ सुपरस्टाकिस्ट द्वारा दूध विक्रय की राशि NEFT/RTGS के माध्यम से प्रतिदिन दोपहर 3.00 बजे तक संघ खाते मे जमा करना अनिवार्य होगा। राशि जमा नहीं होने पर दूध प्रदाय करना संभव नहीं होगा। पांच बार राशि जमा नहीं होने पर दूध प्रदाय बाधित होता है तो सुपरस्टाकिस्ट की सेवाऐं समाप्त की जाकेगी। यदि कण्डिका की शर्त अनुसार भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो ब्याज एवं पैनल्टी लगाई जावेगी।
- ✍ सुपरस्टाकिस्ट द्वारा उठायी गई दूध मात्रा की नियत राशि संघ द्वारा वसूल की जा सके इस हेतु **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर** के नाम अकाउण्ट–पे रेखाकिंत चैक–बुक अग्रिम में संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों मे संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

7) किसी भी दशा में क्षेत्रीय वितरक अथवा विक्रेता को दूध की आपूर्ति बन्द की जाती है तो सुपर स्टाकिस्ट का प्रमुख दायित्व रहेगा कि उस क्षेत्र के नियमित उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति हेतु तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उसी क्षेत्र में करेगा। जिसकी सभी उपभोक्ता नगद, अग्रिम पत्र धारी, संघ अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित है।

8) सुपर स्टाकिस्ट द्वारा नियुक्त अधिकृत वितरकों/विक्रेताओं को दिये जाने वाले मार्जिन एवं परिवहन व्यय का भुगतान सुपर स्टाकिस्ट के माध्यम से किया जावेगा एवं भुगतान का रिकार्ड सुपर स्टाकिस्ट को रखना होगा एवं सत्पान हेतु संघ को प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत नहीं होने पर आगामी माह में मार्जिन का भुगतान नहीं होगा।

9) सुपर स्टाकिस्ट को प्रतिमाह मार्गवार/झोनवार प्रतिदिन की गुणवत्ता अनुसार विक्रय होने वाली दूध मात्रा का माह में औसत विक्रय रिपोर्ट वितरकों/हॉकरों से प्राप्त कर संघ में प्रस्तुत करना होगा, उसी अनुसार संघ की स्थानीय झोन विक्रय रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

10) सुपर स्टाकिस्ट वितरक को इन्दौर शहर सीमा एवं इसके आस–पास के ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्तमान में साँची दूध विक्रय हेतु कोई एजेन्सी/डिपो/पार्लर नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में प्रतिमाह 25 नवीन ऐजेन्सी वितरक के माध्यम से प्रारम्भ कर दूध विक्रय वृद्धि करना होगी।

11) सुपर स्टाकिस्ट वितरक को इन्दौर शहर एवं नवीन विकसीत हो रहे अवासीय/संस्थागत्/ औद्योगिक क्षेत्र को समान विक्रय आधार पर 40 समान भागों में विभाजित कर एक कार्ययोजना एक माह के अंदर तैयार कर प्रस्तुत करना होगी।

12) सुपर स्टाकिस्ट को गत् वर्ष समान माह में विक्रय हो रही दूध मात्रा की तुलना में 10% वृद्धि करना अनिवार्य होगा। वृद्धि नहीं होने पर अनुपातिक मार्जिन में कटोत्रा एवं पैनल्टी की जावेगी।

13) शहर में समय–समय पर आयोजित होने वाले धार्मिक सत्संग/मेला/प्रदर्शनी आदि बड़े आयोजनों में लगने वाले दूध की माँग यदि संघ को प्राप्त होती है तो संघ द्वारा निर्धारित विशेष रियायती दर पर दूध पैकेट प्रदाय करना होगा, जिसकी राशि सीधे संघ द्वारा प्राप्त की जावेगी सुपर स्टाकिस्ट को नियमानुसार परिवहन व्यय का भुगतान किया जावेगा। किन्तु यदि पार्टी द्वारा सीधे टेंकर अथवा केन में खुल्ला दूध बल्क में माँग की जाती है तो संघ सीधे अपने साधन से प्रदाय किया जावेगा। जिस पर कोई मार्जिन/परिवहन व्यय आदि का भुगतान नही किया जावेगा।

14) सुपर स्टाकिस्ट वितरक को सम्पूर्ण क्षेत्र में किन्ही विपरित परिस्थिति जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी दूध व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को दूध प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि अवसरों पर दूध का प्रदाय अपनी जिम्मेदारी पर अनिवार्य रूप से करना होगा।

15) FMCG (Fast Moving consumer goods वितरण का अनुभव होना चाहिए, दूध व्यवसाय करने वालें को प्रथमिकता दी जावेगी।

16) सुपरस्टाकिस्ट को संघ द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षेत्र में साँची दूध के व्यवस्थित वितरण हेतु व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले क्षेत्रीय वितरण वाहन (2015 या उसके बाद के मॉडल) या उसके जो कि तापरोधी होकर चारों ओर से बन्द (लोडिंग – अनलोडिंग हेतु एक ओर दरवाजा हो एवं पर्याप्त प्रकाश) की व्यवस्था भी करना होगी। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे :– वाहन किराया, अनुबंध रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन भी जमा करवाने होगें।

17) सुपर स्टाकिस्ट को दूध प्रदाय करते समय उसकी जाँच–परख हर दृष्टि से सुनिश्चित् कर लेना होगा। प्रदाय होने पश्चात् किसी भी प्रकार लीकेज/कम मात्रा, क्रेट आदि की जिम्मेदारी सुपर स्टाकिस्ट की रहेगी।

18) सुपर स्टाकिस्ट को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये** 1000/- के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची दूध वितरण/विक्रय हेतु सम्पूर्ण इन्दौर शहर हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 2 वर्ष की अवधि हेतु सुपरस्टाकिस्ट नियुक्त किया गया है तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक–एक वर्ष कर तीन वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।

19) संघ से क्रय की गई दूध मात्रा की राशि NEFT/RTGS के माध्यम से संघ खाते में प्रतिदिन जमा करवानी होगी। बैंक अवकाश के दिनों में भी ऑन लाईन राशि दुग्ध संघ के खाते में हस्तातंरण कराना अनिवार्य है।

20) सुपरस्टाकिस्ट नियुक्ति पश्चात MTH कम्पाउंड कार्यालय में 1000 लीटर दूध भण्डारण के लिए डीप/कोल्डस्टोरेज रखना अनिवार्य होगा जिसका किराया/मेंटेनेंस एवं विद्युत व्यय का भुगतान सुपरस्टाकिस्ट द्वारा वहन किया जावेगा।

21) सुपरस्टाकिस्ट की नियुक्ति पश्चात समस्त संचालित वाहनों पर ब्राण्डिंग संघ द्वारा दी गई डिजाईन अनुसार आपकों अपने व्यय पर कराना होगी।

22) पूर्व मे संघ मे कार्य कर चुके सुपर स्टाकिस्ट/वितरक जिनका किसी भी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण रहा हो एवं वित्तीय अनियमितता हो ऐसे वितरक जिनको किसी भी संघ द्वारा ब्लेक लिस्टेड किया गया हो तथा दुग्ध संघ में कार्यरत कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी/स्वयं या रिश्तेदार भी अपात्र रहेगें।

23) सुपर स्टाकिस्ट को इन्दौर एवं आस–पास के क्षेत्र में निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय स्थापित करना आवश्यक होगा।

24) सुपर स्टाकिस्ट संघ के विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार–प्रसार हेतु साधन भी उपलब्ध करवायेगा। साथ ही संघ द्वारा संपादित करवाये जाने वाले कार्य जैसे ''दूध का दूध, पानी का पानी'' एवं अन्य सर्वे आदि कार्यो मे अपना प्रतिनिधि की उपस्थिति एवं सहभागिता भी सुनिश्चित करेगे।

25) निविदा प्रपत्र के साथ आपके विरूद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।

26) किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होगा।

27) प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।

28) आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

29) सुपरस्टाकिस्ट उपभोक्ताओं को MRP पे ही सॉची दूध विक्रय कराया जाना सुनिश्चित करेगें। MRP से अधिक विक्रय होने पर वैधानिक कार्यवाही के लिए सुपरस्टाकिस्ट/वितरक/रिटेलर जिम्मेदार होगें।

30) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायालय इन्दौर रहेगा।

मेरे द्वारा सॉची दूध सुपरी स्टाकिस्ट हेतु आवेदन एवं उसकी समस्त शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मै सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 25 तक वर्णित शर्तों एवं निर्देशन का पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात करने का प्रबन्ध द्वारानिर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

नाम – .... **हस्ताक्षर**

(वित्तीय बीड)
प्रपत्र - 03

❖ सॉची दूध सुपरस्टाकिस्ट सह–परिवहनकर्ता हेतु ❖
ई–निविदा प्रपत्र/आवेदन

पासपोर्ट
साईज फोटो
चस्पा करे

1. आवेदक का नाम ■ ____________________

2. पिता/पति का नाम ■ ____________________

3. स्थाई पता ■ ____________________
(प्रमाण सहित) ____________________
____

4. व्यवसाय का पता ■ ____________________
____
____

(अ) दूरभाष नं. ■
(ब) मोबाईल नं. ■

5. शैक्षणिक योग्यता ■ ____________________

6. आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर–शिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ■ ____________________
____
____

7. वर्तमान व्यवसाय ■ ____________________

8. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करे) ■ ____________________

9. वित्तीय स्थिति(बैंक खाता नं.) ▪ ——————————————————

(अ) चल–अचल सम्पति का ब्योरा। –

(ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं मे जमा राशि। – – – – – – – – – – – –

10. सुपर स्टाकिस्ट हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था। ▪ –

11. धरोहर राशि। ▪ रू.– – – – – – – – – – – – –
(D.D./M.R. क्र. दिनांक संलग्न है)

12. ***इन्दौर शहर में सॉची दूध वितरण कार्य हेतु परिवहन दर रू. ——— पैसे ——— प्रतिलीटर प्रस्तुत करता हूँ।***

नोट– परिवहन दर वास्तविक संचालन व्यय से कम होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जावेगा।

दिनांक – .... **आवेदक के हस्ताक्षर**

पुरा नाम ....

❧ अनुबंध ☙

यह अनुबंध आज दिनांक ------ को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, इंदौर (जिसे आगे प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा) एवं मेसर्स/श्री ---------------- इन्दौर द्वारा बतौर सॉची दूध के सुपर स्टाकिस्ट की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा सम्पूर्ण इन्दौर शहर एवं इससे सम्बद्ध ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न झोनों मे दूध वितरण– परिवहन कार्य के लिए दिनांक 00/00/00 से 00/00/00 (वर्ष) तक अवधि के लिये अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया जा रहा है। जिसे आगे इस अनुबंध मे सुपर स्टाकिस्ट के नाम से सम्बोधित किया गया है। इस अनुबंध के तहत निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ व सुपर स्टाकिस्ट वितरक (दूध) कार्य संपादित करेंगें।

1) यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है, तथा इसके तहत सुपर स्टाकिस्ट को एक माह की पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित मे यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह कि न्यायलीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। अथवा सुपर स्टाकिस्ट वितरक सह–परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत कार्य नही करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस सुपर स्टाकिस्ट का कार्य छोड़ने बाव्त देना होगा।
2) सुपर स्टाकिस्ट वितरक सह–परिवहनकर्ता को सम्पूर्ण इन्दौर शहर के लिये प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ के पास राशि रू. **50,00,,000/-** (अक्षरी रूपये पचास लाख मात्र) प्रतिभूति तथा राशि रू एक करोड की बैंक गारंटी या इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर के संयुक्त नाम की F.D.R. बतौर प्रतिभूति राशि जमा करावेगा। दुग्ध संघ में जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
3) सुपर स्टाकिस्ट द्वारा दुग्ध संघ के वर्तमान मे संचालित समस्त झोन वितरकों के क्षेत्र मे वितरकों के माध्यम से शहर मे स्थित डिपो/पार्लरों/एजेन्सी/संस्थाओं/होटलों आदि पर सॉची दूध निर्धारित विकय केन्द्रो, (जिनकी संख्या दुग्ध संघ अपनी आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकता है) पर सॉची दूध, संघ द्वारा निर्धारित समयावधि मे विकय केन्द्रो के माध्यम से विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
4) सुपर स्टाकिस्ट द्वारा अधीनस्थ विकीत दूध की समस्त राशि दूध प्राप्ति के अगले दिन ही संघ खाते मे NEFT/RTGS के माध्यम से नियत समय के पूर्व जमा करवाना आवश्यक होगा। वितरकों से वसूली की समस्त जिम्मेदारी सुपर स्टाकिस्ट की रहेगी।
5) सुपर स्टाकिस्ट को आवंटित क्षेत्र मे आने वाले समस्त पार्लर/डिपो का भूमि किराया वितरकों से वसूल कर प्रतिमाह के 10 तारीख तक जमा करवाना आवश्यक होगा।
6) संघ के वितरण डाक पर दूध पैकेट/केट लोडिंग के दौरान संलग्न वितरण वाहन के चालक/परिचालक द्वारा दूध पैकेट/केट चौरी आदि की गई अनियमितता के विरूद्ध प्रबंध द्वारा दंडीत की गई राशि का भुगतान तुरन्त करना होगा, इसमे किसी भी प्रकार की शिथिलता मान्य नही की जावेगी।

7) सुपर स्टाकिस्ट को सम्पूर्ण इन्दौर शहर मे/झोन मे विक्रीत होने वाली दैनिक दूध मात्रा मे लगने वाली मिल्क क्रेटे क्रय कर संघ मे जमा करवाना होगी अथवा उतनी क्रेट मात्रा के बराबर राशि प्रचलित मूल्य अनुसार क्रय मूल्य की राशि संघ मे प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त जमा करवाना अनिवार्य होगा। जिसमे दूध विक्रय मात्रा वृद्धि होने पर क्रेट/राशि मे वृद्धि करना होगा।

8) सुपर स्टाकिस्ट को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित मूल्य पर सॉची दूध एफ.ओ.आर. डेयरी डाक पर उसकी मांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणो से जैसे पावर सप्लाई मे गड़बडी दुग्ध संयत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरीयल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धी, हड़ताल, भूकम्प आदि की स्थितियो मे यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे सॉची दूध उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति मे दुग्ध संघ किसी भी तरह के हर्जाने आदि के भुगतान को न दिये जाने हेतु पूर्ण रूपेण स्वंतत्र व कानूनी प्रक्रियाओ से परे होगा।

9) सुपर स्टाकिस्ट द्वारा डेयरी डाक से प्राप्त किये गये सॉची दूध का विपणन कार्य सिर्फ इन्श्यूलेटेड वाहनों मे जिसकी भार क्षमता दुग्ध संघ निर्धारित करेगा, के द्वारा ही वितरण के लिए अनिवार्य होगा।

10) सुपर स्टाकिस्ट द्वारा संघ के अधिकृत वितरकों की दूध की मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेंगा। वितरकों की मांग सुपर स्टाकिस्ट अथवा उनके अधीनस्थ कार्य कर रहें कर्मचारी किसी भी स्थिति मे अपने मर्जी से घटायेंगे/बढ़ायेगें नही।

11) सुपर स्टाकिस्ट को प्रत्येक वितरण वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा।

12) सुपर स्टाकिस्ट को वाहन चालक एंव लेबर का नाम व पता मय फोटो के साथ संघ को लिखित मे सूचित करना होगा एवं सत्यापित दस्तावेज एवं दो– दो पासपोर्ट साईज रंगीन फोटों भी जमा करना होगा।

13) सुपर स्टाकिस्ट दुग्ध संघ को माल उठाते समय माल की राशि रेखांकित (दुग्ध संघ के हित मे) धनादेश देगा। धनादेश के बाउंस होने पर दुग्ध संघ वितरक पर कानूनी कार्यवाही मय हर्जे–खर्चे के करने हेतु स्वंतत्र होगा या बाउंस धनादेश के विरूद्ध बैंक खर्च/पेनाल्टी के रूप मे न्यूनतम रू. 5000/- एवं ब्याज़ आदि की वसूली कर पुनः उसी धनादेश के तह्त भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा या उसके द्वारा रखी ज़मानत राशि/बैंक गारंटी/संयुक्त नाम की फिक्स डिपॉजिट से अलग–अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

14) सुपर स्टाकिस्ट दुग्ध संघ से प्राप्त क्रेटस/केन्स आदि का पूर्ण लेखा–जोखा रखेगा तथा इसकी पूर्ण वापसी हेतु जवाबदार रहेगा। ऐसा न करने पर दुग्ध संघ के पास सुपर स्टाकिस्ट से क्रेटस/केन्स आदि की राशि वर्तमान क्रय दर पर वसूलने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

15) सुपर स्टाकिस्टशासन के समस्त निर्धारित करो आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जवाबदार व्यक्तिगत या कानूनी रूप से होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय–समय पर दिये गये निर्देर्शो के पालनार्थ हेतु पूर्ण रूपेण वाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति मे संबधित समस्त कानूनी कार्यवाही सुपर स्टाकिस्ट वितरक सह–परिवहनकर्ता के विरूद्ध की जा सकेगी व ऐसी किसी भी कार्यवाही से दुग्ध संघ पूर्ण रूपेण मुक्त रहेगा।

16) सुपर स्टाकिस्ट दुग्ध संघ की सहमति से क्षेत्र मे वितरक/ विक्रय केन्द्रो की संख्या बढोत्तरी हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र मे प्रस्तुत करायेगा। वितरक/विक्रय केन्द्रों के आंवटन की प्रक्रिया संघ द्वारा पूर्ण समीक्षा प्रस्तुत प्रस्ताव के गुण–दोषों के आधार पर की जावेगी।

17) सुपर स्टाकिस्ट वितरक सह–परिवहनकर्ता के अधीनस्थ वितरकों के माध्यम से मार्ग मे स्थित केन्द्र प्रभारियो द्वारा उनको की गई दूध की राशि का भुगतान वितरक को न किये जाने की स्थिति मे वितरक, सुपर स्टाकिस्ट वितरक सह–परिवहनकर्ता की सहमति से उस विक्रय केन्द्र प्रभारियो की ज़मानत राशि से दुग्ध संघ के लेखा का समाधान पश्चात बची राशि मे से उसकी लेखा राशि प्राप्त कर सकेगा। किन्तु इसके पूर्व वितरक द्वारा परिवहनकर्ता को संबंधित केन्द्र एजेन्ट से हिसाब सत्यापन सम्बन्धी टीप प्रस्तुत की जाना होगी। साथ ही संघ द्वारा समय समय पर घोषित वितरक/विक्रेता मार्जिन उन्हे अर्थात वितरक/विक्रेताओं को पूर्णतः भुगतान करना होगा, इस सम्बन्ध मे शिकायत प्राप्त होने एवं सत्यापित होने पर सुपर स्टाकिस्ट वितरक सह–परिवहनकर्ता/वितरक की एजेन्सी निरस्त कर प्रतिभूति राजसात की जा सकेगी।

18) सुपर स्टाकिस्ट को समय–समय पर दुग्ध संघ,द्वारा मार्ग/क्षेत्र वार विक्रय वृद्धि हेतु लक्ष्य दिये जावेगे ,जिसकी लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करना सुपर स्टाकिस्ट के लिए बाध्यता होगी तथा लक्ष्यो की प्राप्ती न कर पानें पर इस बाब्त प्रबंध पक्ष द्वारा लिये गये निर्णयो को मानने हेतु सुपर स्टाकिस्ट बाध्य होगा।

19) सुपर स्टाकिस्ट के वितरण वाहन मे कार्यरत कर्मचारी एंव एंजेटो के बीच उठे विवादो को सुपर स्टाकिस्ट अपने उपस्थिति मे शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करेगा, ताकि विवाद न बढ़ने पाये एंव दूध वितरण कार्य मे किसी प्रकार की रूकावट न आने दें। अन्यथा इस हेतू सुपर स्टाकिस्ट पूर्ण रूपेण जिम्मेदार रहेगा, तथा इससे सम्बद्ध हानि की 100% वसूली दुग्ध संघ द्वारा की जा सकेगी।

20) संघ द्वारा सुपर स्टाकिस्ट के लोडिंग पर आने वाले वाहन चालक/परिचालक व दूध वाहन मे कार्यरत लेबर को संघ परिसर मे आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो, उस वाहन चालक व लेबर को किसी भी रूप मे संघ परिसर मे प्रवेश नही करने दिया जावेगा। इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर 1000/- प्रतिदिन के हिसाब से दंड वसूल किया जायेगा एंव इसके बाद भी इस शर्त का दुबारा उल्लंघन करते पाये जाने पर सुपर स्टाकिस्ट की एजेन्सी बिना नोटीस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण संघ स्वंतत्र होगा।

21) सुपर स्टाकिस्ट वितरक सह–परिवहनकर्ता से जो भी अर्थ दंड की राशि वसूली कियें जाने हेतु अनुबंध की शर्तो मे प्रस्तावित है कि वसूली सुपर स्टाकिस्ट वितरक सह–परिवहनकर्ता से धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी गई जमानत राशि से की जावेगी।

22) सुपर स्टाकिस्ट वितरक सह–परिवहनकर्ता को आबंटित कार्य किसी अन्य को एजेन्सी/वितरक को किसी भी रूप मे अथवा उसका अंश भाग के रूप में हस्तातरित नही करेंगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना नोटिस दिये, दी गई सुपर स्टाकिस्टएजेन्सी निरस्त कर सकेगा, तथा उसकी अमानत राशि राजसत कर सकेगा।

23) सुपर स्टाकिस्ट वितरक सह–परिवहनकर्ता प्रतिमाह आवश्यकता अनुसार मार्ग के समस्त वितरको को 10 तारीख तक उनको विपणित की गई दुग्ध की मात्रा, एवं उसके विरूद्ध प्राप्त राशि आदि का लेखा–जोखा उपलब्ध करवायेगा। तथा इसकी एक प्रतिलिपी दुग्ध संघ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावेगा।

24) सुपर स्टाकिस्ट समय–समय पर दुग्ध संघ द्वारा प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशो का पालन करने हेतु एवं अधीनस्थ वितरकों से पालन कराने हेतु बाध्य होगा एंव यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि सुपर स्टाकिस्ट विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नही कर रहा है या कर पा रहा है, या उसे दिये समय–समय पर दिशा निर्देशो का जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति मे दुग्ध संघ अपने व्यवसायिक हितो को सर्वोपरि रखते हुये सुपर स्टाकिस्ट की वितरकशिप समाप्त करने हेतु स्वंतत्र रहेगा।

25) सुपर स्टाकिस्ट वितरक सह–परिवहनकर्ता को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व संघ कार्यालय को वाहनों के पंजीकरण से सम्बधित समस्त दस्तावेज का निरीक्षण संघ के सक्षम अधिकारीयो को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजो की एक छाया प्रति संघ कार्यालय मे जमा करनी होगी।

26) सुपर स्टाकिस्ट की संघ मे निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि मे सुपर स्टाकिस्ट वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा वाहन पंजीकरण से सम्बंधित दस्तावेजो मे परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नही किया जावेगा। यदि किसी कारणवश सुपर स्टाकिस्ट वितरक सह–परिवहनकर्ता संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है, या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना सुपर स्टाकिस्ट का दायित्व होगा।

27) संघ द्वारा सुपर स्टाकिस्ट के क्षेत्र मे निर्धारित किये गये दुग्ध विक्रय केन्द्रो पर वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा नियमित रूप से दूध प्रदाय किया जावेगा, यदि किसी कारणवश सुपर स्टाकिस्ट वितरक सह–परिवहनकर्ता किसी दुग्ध वितरण केन्द्र पर दूध प्रदाय बंद करने हेतु वाध्य होता है, तो उसे सम्पूर्ण प्रकरण लिखित मे संघ कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगा तथा संघ के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर ही दुग्ध प्रदाय सम्बंधित दुग्ध विक्रय केन्द्रो पर बंद कर सकेगा। यदि वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा बिना संघ की अनुमति के किसी दुग्ध विक्रय केन्द्र पर दुग्ध प्रदाय बंद किया जाता है तो रू. 200/- प्रतिदीन प्रति विक्रय केन्द्र के हिसाब से वितरक को दंड स्वरूप राशि संघ मे जमा करनी होगी।

28) यह कि सुपर स्टाकिस्ट, वितरक सह–परिवहनकर्ता को अपने वाहन से दूध व दूध के पेकेट्स एंव क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा मे ले जायेंगे जितनी की शीट चालान मे दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन मे पाया जाता है तो प्रकरण की जॉच कर अतिरिक्त मात्रा के लिये उसे 10 से 100 गुणा राशि तक अर्थदंड किया जा सकेगा। जिसे भुगतान करने के लिये वह बंधनकारी होगा।

29) सुपर स्टाकिस्ट को आवंटित वर्तमान क्षेत्र मे वर्तमान मार्गो के दुग्ध विक्रय के संबध मे आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार संघ को होगा। अतः इस प्रकिया के अंतर्गत वितरको के मार्गो के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रो को नये मार्ग मे सम्मिलित किया जा सकेगा।

30) सुपर स्टाकिस्ट को संघ द्वारा समय–समय पर जो भी निर्देश पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेगें, वे पत्र/परिपत्र अनुंबध के भाग माने जावेगे।

31) यह कि सुपर स्टाकिस्ट को संघ द्वारा निर्धारित परिवहन एवं वितरक मार्जिन एवं विक्रेता मार्जिन का भुगतान किया जावेगा। जिसका भुगतान सुपर स्टाकिस्ट द्वारा वितरको को नियमानुसार आगे देना होगा। (वितरक/विक्रेता मार्जिन आवश्यकता अनुसार संघ द्वारा कम–ज्यादा किया जा सकता है)

32) यह कि अनुबंधित अवधि मे डीज़ल की दरो मे जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार सुपर स्टाकिस्ट वितरक सह–परिवहनकर्ता की दरो मे भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेंगी। निविदा दिनांक 00/00/2018 को डीजल के दर रू. 00.00 प्रतिलीटर है। इसकी गणना मार्ग की दूरी को निविदा मे वर्णित है, वाहन का प्रकार टाटा 407 औसतम 10 किलो मीटर, टाटा 608/709/आयशर औसतन 06 किलो मीटर के आधार पर की जावेगी।

33) इस अनुबंध का न्यायीक कार्यक्षेत्र इन्दौर रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तो के अधीन दुग्ध संघ एंव सुपर स्टाकिस्ट की आपसी रज़ामंदी के तहत दिनांक 00/00/2018 को निष्पादित किया गया है।

34) यह अनुबंध प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ एवं सुपर स्टाकिस्ट/द्वितीय पक्ष के वारिसों पर समान रूप से लागू होगा।

35) यह अनुबंध दो वर्ष की लक्ष्यपुर्ति संघ के साथ भुगतान नियमितता होने के लिए प्रभावशाली रहेगा दुग्ध संघ के द्वारा सुपर स्टाकिस्ट वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य दो वर्षो की अवधि मे संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एंव निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक – एक वर्ष कर, तीन वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।

36) यह कि किसी भी प्रकार के विवाद कि स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी/अध्यक्ष, इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इंदौर का निर्णय अन्तिम व दोनो पक्षो पर बन्धनकारी होंगा।

37) उपरोक्त बिन्दुओं कें अलावा निविदा में उल्लेखित अन्य शर्तो भी इस अनुबंध का एक अभिन्य भाग होगा।

इस अनुबंध पत्र की सभी शर्तो को उभय पक्षों ने अच्छी तरह से पढ एवं समझकर आपसी सहमति के आधार पर दुग्ध संघ कार्यालय मे हस्ताक्षर कियें है, अनुबंध लेख दिनांक ------------- से दो वर्षो अथवा (किन्ही भी कारणवश अनुबंध पत्र का नवीनीकरण नही होने के दशा मे) जब तक बढायी गई कार्य अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा। इति।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी	श्री/मेसर्स ....
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या, इन्दौर	सुपर स्टाकिस्ट (दूध)
(प्रथम पक्ष)	द्वितीय पक्ष)

➤ गवाह ➤

1- हस्ताक्षर	2- हस्ताक्षर
नाम – – – – – – – – –	नाम – – – – – – – – –
पिता – – – – – – – – –	पिता – – – – – – – – –
पता – – – – – – – – –	पता – – – – – – – – –
– – – – – – – – –	– – – – – – – – –
– – – – – – – – –	– – – – – – – – –

-X-